

कार्यालय— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची।

पत्रांक -11E-19(A) III- 2/17- 3920

दिनांक - 01.09.17

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची।

सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक।

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटेनगंज।

मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, रांची।

विषय : दिनांक 19.09.2017 को पूर्वाह्न 10.00 बजे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची के कार्यालय स्थित सभागार में विभागीय समीक्षात्मक बैठक के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 19.09.2017 को विभागीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा की जायेगी :-

1. सेवान्त लाभ एवं भुगतान के लम्बित मामलों की स्थिति।
2. पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।
3. माननीय उच्च न्यायालय में लंबितवादों की अद्यतन स्थिति।
4. माननीय उच्च न्यायालय में अवमाननावादों की अद्यतन स्थिति।
5. भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत दायर मुकदमों की अद्यतन स्थिति।
6. अधिसूचित तथा सीमांकित वनभूमि से संबंधित अभिलेखों की प्रविष्टि जिला निबंधन कार्यालय में संधारित नेगेटिव लिस्ट में कराने के संबंध में प्रतिवेदन।
7. लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा- तारांकित/अल्पसूचित/आतारांकित/आश्वासनों से संबंधित प्रतिवेदन।
8. SPARROW अन्तर्गत भा0व0से0 पदाधिकारियों द्वारा Digital Signature Certificate व NIC mail id प्राप्त करने की स्थिति।
9. प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त पत्रों के आलोक में कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन।

10. लोकायुक्त के कार्यालय में दायर वाद के आलोक में जांच प्रतिवेदन प्रेषण से संबंधित प्रतिवेदन।
11. अवैध पातन से संबंधित प्रतिवेदन।
12. अवैध खनन से संबंधित प्रतिवेदन।
13. अधिहरित वाहनों के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन।
14. जप्त वन पदार्थ के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन।
15. विभिन्न प्रमण्डलों से संबंधित वर्किंग प्लान के पुनरीक्षण की स्थिति।
16. विभिन्न प्रमण्डलों में लंबित Certificate Cases के निष्पादन का प्रमण्डलवार प्रतिवेदन।
17. वन पथों से संबंधित प्रतिवेदन।
18. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अद्यतन स्थिति।
19. विभिन्न स्थापनाओं में वाहन/कम्प्यूटर/लैपटोप, प्रिन्टर एवं स्कैनर इत्यादि की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन।
20. जंगली जानवरों के द्वारा जान-माल की क्षति एवं फसल की बर्बादी के विरुद्ध मुआवजा भुगतान से संबंधित स्थिति।
21. आरा मिल अधिनियम के तहत लंबित मामलों का प्रमण्डलवार प्रतिवेदन।

अनुरोध है कि कृपया अपने-अपने कार्य क्षेत्र का उपरोक्त बिन्दुओं पर वांछित प्रतिवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्रों में संकलित कर Soft copy, e-mail तथा Hard copy में इस कार्यालय को दिनांक-08.09.2017 तक भेजते हुए बैठक में दिनांक 19.09.2017 को भाग लेने की कृपा करें।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,



प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:-11E-19(A) III-2/17- 3920

दिनांक:-01.9.17

प्रतिलिपि:-ENVIS Cell को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची